संक्षेप में

जिंदल स्टेनलेस ने खुल्बे को सीईओ बनाया

जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि उसने पूर्णकालिक निदेशक तरुण खुल्बे को मुख्य कार्य अधिकारी (सीईओ) पद पर पदोन्नत किया है। जिंदल स्टेनलेस ने शेयर बाजार को बताया कि इस संबंध में पिछले सप्ताह कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में निर्णय लिया गया था। कंपनी ने बताया कि निदेशक मंडल ने मुख्य कार्य अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक के रूप में तरूण खुल्बे की पदोन्नति को मंजूरी दे दी है। *भाषा*

स्काई 2.0 क्लब में 60 % हिस्सा लेगी वीएलएल

विकास लाइफकेयर लिमिटेड (वीएलएल) दुबई स्थित स्काई 2.0 क्लब में 7.9 करोड़ डॉलर (करीब 650 करोड़ रुपये) के निवेश से 60 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। वीएलएल ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि अधिग्रहण प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष 2023-24 में पूरी की जाएगी। कंपनी ने कहा 'यह अधिग्रहण विकास लाइफकेयर तथा होल्डिंग कंपनी ब्लू स्काई इवेंट हॉल एफजेड-एलएलसी (दुबई) के बीच शेयर अदला-बदली सौदा है। यह स्काई 2.0 क्लब व्यवसाय में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी और उद्यम से संबंधित व्यवसाय खंड में सभी भविष्य के व्यावसायिक उद्यम के अधिग्रहण के लिए किया गया है।' *भाषा*

30 अप्रैल को होगी गूगल की याचिका पर सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील पंचाट (एनसीएलएटी) के उस आदेश के खिलाफ गूगल की अपील पर 30 अप्रैल से सुनवाई शुरू करेगा, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा गया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 20 अक्टूबर, 2022 को प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी पर जुर्माना लगाया था और उसे एंड्रॉइड उपकरणों से संबंधित कार्यप्रणाली के लिए 1337.76 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा था। *भाषा*

नतीजे पूर्व समीक्षा : फार्मा व हेल्थकेयर क्षेत्र

अमेरिका व भारत से उम्मीद

सोहिनी दास
मुंबई, 22 जनवरी

वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में दवा क्षेत्र राजस्व में करीब 13.5 फीसदी और शुद्ध लाभ में 30.3 फीसदी की वृद्धि दर्ज कर सकता है, जिसे अमेरिकी बाजार में महंगी दवाओं की मंजूरी, कच्चे माल की कीमतों में गिरावट और परिवहन लागत में कमी से सहारा मिलेगा।

हेल्थकेयर के क्षेत्र में हॉस्पिटल्स के राजस्व में 13 फीसदी की वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है जबकि उसके शुद्ध लाभ में करीब 37 फीसदी का इजाफा होगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एक नोट में ये बातें कही है। विश्लेषकों ने हालांकि कहा है कि वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही में त्योहारी सीजन के प्रभाव के कारण क्रमिक आधार पर प्रदर्शन की तुलना शायद नहीं की जा सकती। डायग्नोस्टिक्स कंपनियां राजस्व में 12 फीसदी की वृद्धि दर्ज कर सकती हैं जबकि उनके कर पश्चात लाभ में 37 फीसदी के इजाफे का अनुमान है।

ऐक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा कि वृद्धि को सबसे ज्यादा सहारा जेनेरिक उत्पादों मसलन रेविलमिड, जेनेरिक स्पिरिवा, जेनेरिक अल्बुटिरोल, जेनेरिक प्रेजिस्टा, जेनेरिक लेनोटाइरेड और बायोसिमिलर से मिलेगा।

ऐक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा, कीमतों में स्थिरता के साथ अमेरिकी बाजार 13 से 20 फीसदी तक की वृद्धि दर्ज कर सकता है, वहीं कोविड-19 के कारोबार के बाद अब भारतीय कारोबार स्थिर हो चुका है, ऐसे में यहां दो अंकों में वृद्धि होगी। तीसरी तिमाही में यूरोप व अंतरराष्ट्रीय बाजार में राजस्व एक अंक में वृद्धि दर्ज कर सकता है।

अमेरिकी राजस्व सालाना आधार पर 15 फीसदी बढ़ने का अनुमान है जबकि उद्योग में कीमतों का एक अंक मं क्षरण हुआ है, जिसकी आंशिक भरपाई नए उत्पादों की पेशकश ने की है। निर्मल बांग इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज को लगता है कि अमेरिका में स्थायी मुद्रा के लिहाज से वृद्धि सालाना आधार पर करीब 10 फीसदी होगी, लेकिन नई पेशकश तिमाही आधार पर स्थिर से ऋणात्मक बनी रहेगी।

निर्मल बांग ने एक रिपोर्ट में कहा, उत्पादों के बेहतर मिश्रण, ब्रांडेड बाजारों मं कीमत बढ़ोतरी के लाभ और लागत में इजाफे के मामला सामान्य स्थिति की और लौटने से मार्जिन में सालाना आधार पर सुधार की उम्मीद है। साथ ही अमेरिकी कीमत पर दबाव समाप्त होने से भी मार्जिन को सहारा मिलेगा। साथ ही कच्चे माल की कीमतों में नरमी भी अमेरिकी वृद्धि को सहारा दे रहा है।

निर्मल बांग ने कहा है कि नई पेशकश और कीमत बढ़ोतरी के सहारे के बावजूद देसी फॉर्मुलेशन बाजार में वृद्धि थोड़ी नरम होकर 9 फीसदी पर आ जाएगी। ऐक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा कि भारतीय दवा बाजार ने तीसरी तिमाही में 10 फीसदी की मजबूत वृद्धि दर्ज की है।

ऐक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा, ज्यादातर कंपनियों के मामले में फील्ड में रहे कर्मियों की उत्पादकता में सुधार, कीमत बढ़ोतरी और नई पेशकश के चलते हम वित्त वर्ष 24 में अपने कवरेज वाली कंपनियों की देसी बिक्री में 10 से 11 फीसदी की वृद्धि का अनुमान बनाए हुए हैं।

अच्छी खबर यह है कि एपीआई का कीमत इंडेक्स (जिसमें 15 अग्रणी एपीआई है और जिसका आयात चीन से होता है और दवा कंपनियां इसका इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पर करती है) इसमें तिमाही आधार पर 13 फीसदी और सालाना आधार पर 12 फीसदी की गिरावट का संकेत देता है। ब्रोकरेज ने कहा, चीन मं उत्पादन में स्थिरता और पीएलआई योजना के कारण भारत में आपूर्ति बढ़ने से एपीआई की कीमत में गिरावट आई है। इसी तरह तीसरी तिमाही में कच्चे तेल की कीमतें और ढुलाई की दर सर्वोच्च स्तर से नीचे आई हैं और इस वजह से आगे दवा कंपनियों के लाभ में सुधार हो सकता है। इसमें कहा गया है, उपरोक्त कारक वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही में दवा कंपनियों के एबिटा मार्जिन में सालाना आधार पर 200 आधार अंकों का सुधार ला सकते हैं।

सिप्ला का मुनाफा 32 प्रतिशत बढ़ा

वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में दवा कंपनी सिप्ला का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 32 प्रतिशत बढ़कर 1055.9 करोड़ रुपये रहा। कंपनी को बिक्री से राजस्व में आई 13.5 प्रतिशत की तेजी से मदद मिली। कंपनी का राजस्व दिसंबर तिमाही में 6,505.66 करोड़ रुपये रहा।

हालांकि तिमाही आधार पर कर पश्चात लाभ (पीएटी) 6.6 प्रतिशत तक घट गया और राजस्व में 1.2 प्रतिशत तक की कमजोरी दर्ज की गई। सिप्ला का राजस्व विश्लेषकों के अनुमान के अनुरूप रहा। ब्लूमबर्ग ने शुद्ध लाभ 1,058 करोड़ रुपये और शुद्ध बिक्री 6,522 करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया था। तीसरी तिमाही में एबिटा 24.2 प्रतिशत बढ़कर 1,748 करोड़ रुपये रहा।

सिप्ला के प्रबंध निदेशक एवं वैश्विक मुख्य कार्याधिकारी उमंग वोहरा ने कहा, 'मैं एक और तिमाही के नतीजों की घोषणा कर उत्साहित हूं। दिसंबर तिमाही में भारत, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में हमारे मुख्य व्यवसायों में मजबूती आई है।' *बीएस*

सोनी संग सौदा टूटने के बाद ज़ी के शेयरों की डाउनग्रेडिंग

समी मोडक
मुंबई, 22 जनवरी

सोनी नेटवर्क्स के साथ विलय का सौदा टूटने के बाद विश्लेषकों ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटप्राइजेज के शेयर के लिए लक्षित कीमत में कटौती की है और शेयर की रेटिंग घटा दी है।

सीएलएसए ने शेयर को डाउनग्रेड कर इसकी रेटिंग बिकवाली कर दी है और लक्षित कीमत 300 रुपये से घटाकर 198 रुपये कर दिया है। एक नोट में ईलारा ने कहा है कि यह शेयर 130 रुपये के निचले स्तर तक आ सकता है, वहीं नुवामा इंस्टिट्यूशन इक्विटीज का मानना है कि यह शेयर 200 रुपये के नीचे फिसल सकता है। एनएसई पर ज़ी का शेयर 231 रुपये पर बंद हुआ। चूंकि ज़ी का शेयर डेरिवेटिव में शामिल है, लिहाजा इस शेयर के लिए कोई कीमत दायरा नहीं है और विश्लेषकों का कहना है कि यह मंगलवार को काफी नीचे खुल सकता है।

सोमवार को ज़ी को सोनी की तरफ से विलय करार (21 दिसंबर, 2021) समाप्त करने का नोटिस मिला और उसमें विलय सहयोग करार (एमसीए) के कथित उल्लंघन के लिए करार समाप्ति शुल्क के तौर पर 9 करोड़ डॉलर की मांग की गई है। इससे ज़ी ने इनकार किया है। सीएलएसए की विश्लेषक दीप्ति चतुर्वेदी की अगुआई में विश्लेषकों के नोट में कहा गया है, विलय सौदा समाप्त होने के साथ ज़ी का मूल्यांकन घटकर 12 गुना पीई गुणक (अगस्त 2021) के स्तर पर आने की संभावना है, जो विलय की घोषणा के पहले देखा गया था। साल 2019 में प्रवर्तक की तरफ से शेयर गिरवी रखने और कारोबार में गिरावट के बाद इस शेयर की रेटिंग में बदलाव हुआ था। साथ ही रिलायंस व डिज्नी स्टार के विलय की खबर से प्रतिस्पर्धा और गहरा सकती है।

ईलारा कैपिटल के करण तौरानी ने एक नोट में कहा है, विलय सौदा टूटने के साथ ज़ी के लिए लक्षित कीमत 130 से 170 रुपये के दायरे में हो सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में ज़ी के राजस्व व लाभ में वृद्धि सुस्त रही है और कंपनी ने मार्जिन में गिरावट देखी है लेकिन सोनी के साथ विलय मूल्यांकन में इजाफे के लिहाज से अहम था।

ईलारा ने नोट में कहा है, हमारा मानना है कि ज़ी मूल्यांकन गुणक में काफी गिरावट देकेगी और यह एक साल आगे की आय के कम से कम 10 गुना होगा, जिसकी वजह विलय सौदा टूटना है। ज़ी के पास संबावित तौर पर पूरी तरह से बिखरे हुए बाजार में ओटीटी पेशकश में इजाफे की क्षमता नहीं होगी, साथ ही कम लाभ व एबिटा मार्जिन 14 फीसदी के पास आ जाएगा। इसके अलावा इन्वेंट्री को बट्टे खाते में डालने या संबंधित पक्षकार लेनदारों से जुड़े मामले या डिज्नी संग खेल करार का पालन न करने का भी असर पड़ेगा।

नुवामा के अवनीश रॉय ने कहा, अल्पावधि में यह शेयर दबाव में रहेगा और यह विलय पूर्व के 12-13 गुना पीई गुणक पर लौट आएगा। नए साझेदार को लेकर अनिश्चितता, सोनी के साथ कानूनी संघर्ष और आरआईएल के वायकॉम व डिज्नी के बीच संभावित सौदे को देखते हुए जोखिम काफी ज्यादा रहने वाला है।

IndiaShelter इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट 15, 6ठी मंजिल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, शाखा कार्यालय: आर.के. टॉवर, पहली मंजिल, एलआईसी कार्यालय के पास, विष्णु नगर, पसासिया रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश - 480001, प्लॉट नंबर 69, तीसरी मंजिल, एमपी नगर, जोन -1, भोपाल - 462011

अचल सम्पत्ति हेतु सांकेतिक/भौतिक कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन (प्रतिभूति) हित अधिनियम, 2002 के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में बर्तमान में इण्डिया शेल्टर फाइनेंस एण्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार तथा सम्पत्ति/आश्वस्ति के स्वामी से कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर वहाँ आगे उल्लिखित खाते के सम्मुख लिखित तिथि पर राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए एक माँग सूचना जारी की थी। जैसा कि सम्पत्ति के स्वामी तथा अन्य राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहे अतः एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है। अब कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति/यों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज, लागतों आदि के लिए इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

कर्जदार/जमानती का नाम (सम्पत्ति के स्वामी) तथा ऋण खाता संख्या	प्रभावित/बंधक सम्पत्ति का विवरण (निम्नलिखित से निर्मित सम्पत्ति का समस्त भाग)	माँग सूचना की तिथि, माँग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	सांकेतिक/भौतिक कब्जा की तिथि
ललिता, राहुल वासनिक, चंदना सोम कुँवर, रानू पचार निवास स्थानः वार्ड नंबर 13 बुटारिया बस्ती चंदामेट्टा चिखली कला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश म.प्र. 480447, साथ ही बुटारिया बस्ती चंदामेट्टा चंदामेट्टा चिखली कला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश म.प्र. 480447 मध्य प्रदेश, साथ ही खसरा नं. 134/9 बी.नं. 402 पीएच. नंबर 7, बटुरिया पारसिया परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश म.प्र. 480447 480447 मध्य प्रदेश ऋण खाता संख्या LA48CLLQNS000005036633	मौजा-बुटरिया का समस्त भाग, विक्रय-पत्र 134/9 के अनुसार, सीमाः- पूर्व-सड़क, पश्चिम-प्रकाश का घर, उत्तर-सूर्यवंशी का घर, दक्षिण-नाजिर कुरेशी	मांग सूचनाः 19अगस्त 2023 रु. 1307991/- (रुपये तेरह लाख सात हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र) 10 अगस्त 2023 तक तथा 11 अगस्त 2023 से लागू ब्याज के साथ	17/01/2024 (सांकेतिक कब्जा)
नूरन बी पिंजारा, वाशिम मोहम्मद, मोहम्मद मुगीस, मोहसिन अंसारी, वार्ड नंबर 47 परतला, अपनी रसोई के पीछे, रेलवे क्रॉसिंग के पास, छिंदवाड़ा 480001 मध्य प्रदेश ऋण खाता संख्या- CHL100002523	3000 वर्ग फीट की भूमि का समस्त भाग, मौजा लोनिया करथल, खसरा नंबर 95/38 बी. नं. 526,पी.सी. क्रमांक 12, सर्किल छिंदवाड़ा-2, तहसील एवं जिला छिंदवाड़ा में स्थित, सीमाः- पूर्व-विक्रेता की भूमि, पश्चिम-भूखंड और श्रीमती सुमित्रा साहू का घर, उत्तर-कच्चा रोड, दक्षिण-श्री सोनी की भूमि	मांग सूचनाः 20/6/2022 रु. 991053.42/- (रुपये नौ लाख इक्यानवे हजार तिरपन और बयालीस पैसे मात्र) 16/6/2022 तक देय और 17/6/2022 से अतिरिक्त ब्याज लागू	17/01/2024 (सांकेतिक कब्जा)
लक्ष्मी ठाकुर, राम स्वरूप निवासः38, दीप मोहिनी, खजूरी कलां हुजूर भेल जिला भोपाल म.प्र. 462022 मध्य प्रदेश साथ ही, श्री/श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर हाउस नंबर-04-ए, सर्वे नंबर-452/1 का हिस्सा, खसरा नंबर-452/के कृष्णा नगर, ग्राम-खजूरी कलां खजूरी कलां रोड, ब्लॉक-फंदा, वार्ड नंबर-61, तहसील-हुजूर, जिला -भोपाल, म.प्र. 462022 मध्य प्रदेश ऋण खाता क्रमांक HL46LILONS0000005006888 तथा HL46TSLONSM0005045762	संपत्ति मकान नंबर-04-ए का सम्पूर्ण भाग, सर्वे नंबर-452/1 का हिस्सा, (कंप्यूटर खसरा नं.-452/के), कृष्णा नगर, गांव- खजूरी कलां, खजूरी कलां रोड , ब्लॉक- फंदा, वार्ड क्रमांक- 61, तहसील- हुजूर, जिला- भोपाल, म.प्र. सीमाः- पूर्व-शासकीय भूमि, पश्चिम-कॉलोनी रोड, उत्तर- प्लॉट नंबर-04-बी, दक्षिण-शुभम साहू का मकान नंबर-03	मांग सूचनाः 14 सितंबर 2023 तक रु. 326884.84/- (रुपये तीन लाख छब्बीस हजार आठ सौ चौरासी और चौरासी पैसे मात्र) तथा 15 सितंबर 2023 से लागू अतिरिक्त ब्याज सहित	19/01/2024 (सांकेतिक कब्जा)
भगवती बाई और दिनेश मालवीय निवास स्थानः 348 भगवती कॉलोनी, आष्ठा सीहोर 466001 मध्य प्रदेश ऋण खाता संख्या LAP500000412	खसरा नंबर 1039/1/1, वार्ड नंबर 29, भगवती कॉलोनी, सीहोर, मध्य प्रदेश में संपत्ति का समस्त भाग। सीमाः- पूर्व- सड़क, पश्चिम- गली, उत्तर- शिवचरण का घर, दक्षिण- मालवीय का घर।	मांग सूचनाः 19/5/2023 रु. 265079/- (रुपये दो लाख पैंसठ हजार उन्यासी मात्र) 10/5/2023 तक देय तथा 11/5/2023 से अतिरिक्त ब्याज लागू	19/01/2024 (सांकेतिक कब्जा)

किसी पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें : श्री अमित शर्मा-9770873777 तथा श्री सत्येन्द्र पाटीदार-7509801709
स्थान : मध्य प्रदेश, तिथि : 23.01.2024 (अधिकृत प्राधिकारी), इण्डिया शेल्टर कॉर्पोरेशन फाइनेंस लिमिटेड

केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 6ठवां तल, केआईएफएस कॉर्पोरेट हाउस, होटल प्लानेट लैंडमार्क के समीप, अशोक वाटिका के समीप, बीआरटीएस, इस्कॉन – अंबली रोड, बोदकदेव, अंबली, अहमदाबाद, गुजरात – 380054
निगमित कार्यालय : सी–902, लोटस पार्क, ग्राहम फिर्थ कंपाउंड, पश्चिमी एक्सप्रेस हाइवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई–400063, महाराष्ट्र, भारत,
दूरभाष सं: +91 22 61796400, ईमेल : contact@kifshousing.com, वेबसाइट : www.kifshousing.com,
सीआईएन : यू65922जीजे2015पीएलसी085079. आरबीआई सीओआर : डीओआर–00145

भौतिक अधिग्रहण सूचना

श्री आदर्श सिंह
श्रीमती महिमा सिंह
श्री पर्वत सिंह डांगी

संपत्ति पता : उस विभाजित भूमि का एक भाग जो राजस्व सर्वेक्षण सं. 68/1/4, भूखंड सं. 14, हरसिद्धि कॉलोनी, ग्राम टीकनखेड़ी पटवारी हलका नं. 24 तहसील बेरसिया भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भारत 463106 में स्थित है।

जबकि,

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित **14 फरवरी 2023** निर्गत की थी, जिसमें सूचना में अंकित, आपके **ऋण खाता सं: एलएनएचएलबीपीएल005358, आवेदन सं: 1028812 के समक्ष, राशि रु. 2,62,201/– (रुपये दो लाख बासठ हजार दो सौ एक मात्र)** का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि आप निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा आप को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **19 जनवरी 2024 को, भौतिक अधिग्रहण कर लिया है।**

एतद्द्वारा आप को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई भी लेन–देन, 10 जनवरी 2023 के अनुसार देय **रु. 2,62,201/– (रुपये दो लाख बासठ हजार दो सौ एक मात्र)** की एक राशि तथा इस राशि के भुगतान होने तक **11 जनवरी 2023** से राशि पर निर्धारित भावी ब्याज के साथ केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

संपत्ति का विवरण

अचल संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो कि उस विभाजित भूमि के एक भाग पर स्थित है जो राजस्व सर्वेक्षण सं. 68/1/4, भूखंड सं.–14, हरसिद्धि कॉलोनी, ग्राम टीकनखेड़ी, पटवारी हलका नं. 24, तहसील बेरसिया भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भारत 463106 में तथा निम्नानुसार परिसीमित है : **पूर्व–** खुला भूखंड सं. 13, **पश्चिम–** खुला भूखंड सं. 15, **उत्तर–** 20 फुट चौड़ी सड़क, **दक्षिण–** सलमान खान की भूमि।

स्थान : भोपाल हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 19 जनवरी 2024 केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 6ठवां तल, केआईएफएस कॉर्पोरेट हाउस, होटल प्लानेट लैंडमार्क के समीप, अशोक वाटिका के समीप, बीआरटीएस, इस्कॉन – अंबली रोड, बोदकदेव, अंबली, अहमदाबाद, गुजरात – 380054
निगमित कार्यालय : सी–902, लोटस पार्क, ग्राहम फिर्थ कंपाउंड, पश्चिमी एक्सप्रेस हाइवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई–400063, महाराष्ट्र, भारत,
दूरभाष सं: +91 22 61796400, ईमेल : contact@kifshousing.com, वेबसाइट : www.kifshousing.com,
सीआईएन : यू65922जीजे2015पीएलसी085079. आरबीआई सीओआर : डीओआर–00145

भौतिक अधिग्रहण सूचना

श्री नानूराम पटेल पुत्र श्री बद्धू जी पटेल
श्रीमती मानू बाई पटेल पत्नी श्री नानूराम पटेल
संपत्ति पता : मकान सं. 7–ए दक्षिणी भाग चाणक्यपुरी, धार, मध्य प्रदेश, 454001

जबकि,

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित **15 जुलाई 2021** निर्गत की थी, जिसमें सूचना में अंकित, आपके **ऋण खाता सं: एलएनएचएलआईएनडी000671, आवेदन सं: 1002368 के समक्ष, राशि रु. 16,44,925/– (रुपये सोलह लाख चौवालीस हजार नौ सौ पच्चीस मात्र)** का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि आप निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा आप को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **19 जनवरी 2024 को, भौतिक अधिग्रहण कर लिया है।**

एतद्द्वारा आप को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई भी लेन–देन, **15 जुलाई 2021 के अनुसार देय रु. 16,44,925/– (रुपये सोलह लाख चौवालीस हजार नौ सौ पच्चीस मात्र)** की एक राशि तथा इस राशि के भुगतान होने तक 16 जुलाई 2021 से राशि पर निर्धारित भावी ब्याज के साथ केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

संपत्ति का विवरण

अचल संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो कि मकान सं. 7–ए, दक्षिणी भाग चाणक्यपुरी, धार, मध्य प्रदेश, 454001 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : **पूर्व–** भूखंड सं.–14, **पश्चिम–** सड़क, **उत्तर–** भूखंड सं.–7–ए का शेष भाग, **दक्षिण–** लोहार का मकान।

स्थान : इंदौर हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 19 जनवरी 2024 केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.

ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

सीआईन : U67100TZ2014PTC020363
निगमित कार्यालय : कोहिनूर स्क्वॉयर, 47वां तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई – 400028 ।
ईमेल : kalpesh.ojha@omkaraarc.com, । मोबाइल : +91 9769825323

[परिशिष्ट - IV-ए] [नियम 8 (1), 8(6) एवं 6 (2) का प्रावधान देखें]

चल एवं अचल संपत्ति के विक्रयार्थ ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (1), नियम 8 (6) एवं 6 (2) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत चल एवं अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों)/बंधकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता अर्थात् ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल), जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत एक निगमीकृत कंपनी है तथा जो वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) ("सरफाँएसि अधिनियम 2002") की धारा 3 के अंतर्गत एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ विधिवत पंजीकृत है और जिसका **सीआईएन सं: U67100TZ2014PTC020363** है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 9, एम.पी. नगर, प्रथम स्ट्रीट, कोंगु नगर एक्स., तिरुपुर 641607 तथा निगमित कार्यालय कोहिनूर स्क्वॉयर, 47वां तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई–400028 में है, जो **ओमकारा पीएस–26/2021–22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप** में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत है, के पास बंधककर्ता/प्रभारित निम्न वर्णित चल एवं अचल संपत्तियों (प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का भौतिक अधिग्रहण कर लिया गया है। इसने पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएएचएफएल) (पूर्व में मैस्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में विदित) की ओर से रेखांकितकारी प्रतिभूतियों के साथ उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं) की संपूर्ण बकाया राशियों के ब्याज एवं समस्त अधिकारों, स्वामित्वों का, एसाइनमेंट अनुबंध दिनांकित 30–09–2021 के द्वारा, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 5 के अंतर्गत अधिग्रहण कर लिया है।

इसके अतिरिक्त, अवर जनपदाधिकारी इंदौर द्वारा निर्गत आदेश दिनांकित **07–09–2022** के अनुसार, प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का भौतिक अधिग्रहण प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 31–03–2023 को कर लिया गया है तथा उक्त परिसंपत्ति(यों) को निम्नांकित तिथि पर **"जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "वहां जो कुछ भी है"** आधार पर बेचा जाएगा, जो कि निम्न उल्लिखित उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं) की ओर से प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुगतेय निम्नांकित बकाया राशियों की वसूली के लिये किया जायेगा। आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा (ईएमडी) और अन्य विवरण निम्नानुसार उल्लिखित है :

उधारकर्ता एवं सह–उधारकर्ता का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	बकाया देयराशियां रु. में	मांग सूचना की तिथि / अधिग्रहण की तिथि	आरक्षित मूल्य (रु.) / धराज (रु.)	निरीक्षण तिथि एवं समय
1. आलोक जैन (उधारकर्ता/बंधककर्ता) 2. नीलम जैन (सह–उधारकर्ता)	आवासीय विभाजित भूमि सं. धारक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो ग्राम रणाजी गोतमपुरा तहसील देपालपुर जनपद इंदौर पटवारी हल्का नं. 5, न्यू 12 वार्ड नं0. 9, बाग मोहल्ला सर्वे नं. 517, पैकी रकबा 0.063 (6728 वर्ग फुट), में स्थित, अभि. 6727 वर्ग फुट, आवासीय आरसीसी निर्माण क्षेत्रफल 174.25 वर्ग फुट, है।	रु. 50,69,443/– (रुपये पचास लाख उनहत्तर हजार चार सौ तैंतालिस मात्र) 16–04–2021 के अनुसार प्लस आज की तिथि तक राशि पर संविदागत ब्याज एवं अन्य शुल्क	16–04–2021 एमएचएफएल द्वारा / 31–03–2023	40,00,000/- / 4,00,000/-	19–02–2024 2.00 से 4.00 बजे

धराज के भुगतान तथा बोली प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 26–02–2024 को सायं 06.00 बजे तक

नीलामी तिथि एवं समय : 27–02–2024, समय : 03.00 बजे 05.00 बजे | वृद्धिशील मूल्य : रु. 25,000

नीलामी के नियम एवं शर्तें :

1. इच्छुक बोलीदाताओं जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और जिन्हें लॉगिन आई